

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का,
मजदूर एकता लहर के संपादक,
कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

23 मार्च, 2014



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

www.cgpi.org

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का,
मजदूर एकता लहर के संपादक,
कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

23 मार्च, 2014



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

www.cgpi.org

प्रथम प्रकाशन, मार्च 2014

इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को, प्रकाशक की अनुमति के साथ और स्रोत की उपयुक्त स्वीकृति सहित, अनुवादित या पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

मूल्य : 10 रुपये

प्रकाशक

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई-392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2
नई दिल्ली-110020

वितरक

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई-392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2
नई दिल्ली-110020

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव,
कामरेड लाल सिंह का, मजदूर एकता लहर के संपादक,
कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

plnHkku % हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का भ्रष्टाचार की
समस्या पर क्या विचार है?

yky fl g % निजी मुनाफ़े के लिए सरकारी पद का इस्तेमाल
भ्रष्टाचार माना जाता है। जिन लोगों को जनता की सेवा करनी
चाहिए, उनकी खुदगर्ज कार्यवाहियों को भ्रष्टाचार माना जाता है।

आज से 2500 वर्ष पहले लिखे गए अर्थशास्त्र में विस्तारपूर्वक
समझाया गया है कि किन अनेक तरीकों से राज्य के राजस्व को
लूटा जा सकता है और सरकारी धन का दुरुपयोग या गलत

हिसाब-किताब हो सकता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भ्रष्टाचार कोई नयी समस्या नहीं है। प्रतिस्पर्धी हितों वाले वर्गों के बीच में समाज का बंटवारा जितना पुराना है, भ्रष्टाचार भी उतना ही पुराना है।

आज भ्रष्टाचार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि आज के समाज में निजी संपत्ति और निजी मुनाफे का उद्देश्य सबसे प्रधान स्थान पर आ चुका है और पूरे समाज पर उसकी भूमिका फैली हुई है।

मेरे बचपन में किसान परिवारों में दूध खरीदना या बेचना स्वाभाविक नहीं था। अगर दूध की कमी पड़ जाती थी तो हम अपने पड़ोसियों से ले लेते थे। लोग हमारे गांव की सांझी खुशहाली के बारे में सोचते थे। परंतु पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ, हर क्षेत्र में व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया है। आज अधिकतम लोग सिर्फ अपने निजी हित के बारे में सोचते हैं। समाज में जिन सभी चीजों को पवित्र माना जाता था, उन सभी को आज विक्रय वस्तु बना दिया गया है।

आज हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है – सरकारी पद, मंत्री पद, और अदालत के फैसले भी। हर प्रकार की सामाजिक कार्यवाही को पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफों का स्रोत बना दिया गया है। अस्पताल बड़े-बड़े व्यवसाय बन गये हैं। स्कूल और कॉलेज के बारे में भी यही कहा जा सकता है। भगवान और पूजा-पाठ भी बहुत मुनाफेदार व्यवसाय बन गये हैं।

पूंजीवाद आज उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जब आर्थिक और राजनीतिक सत्ता बहुत संकेन्द्रित हो चुकी है और सरकारी प्राधिकरण मुट्ठीभर अरबपतियों के निजी हितों के अनुसार काम करता है। यह सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हो रहा है। बड़े बैंकों, सट्टाबाज़ार और सरकार का आपस में नजदीकी का गठबंधन है। निर्वाचित सरकारें जो "जनादेश" प्राप्त करने का दावा करती हैं, बड़े-बड़े अरबपतियों और बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रधानों के आदेश के अनुसार काम करती हैं।

जीवन के सभी क्षेत्रों पर निजी मुनाफे के मकसद और पूंजीवादी इजारेदार कंपनियों का हावी हो जाना, यही मुख्य वजह है कि आज भ्रष्टाचार पहले से कई गुणा बढ़ गया है। खुदगर्ज होना बहुत बड़ा गुण माना जाता है।

भ्रष्टाचार के खास रूप अलग-अलग देशों में, उस देश के राज्य और पूंजीवाद के ऐतिहासिक विकास की विशेषताओं के अनुसार, अलग-अलग होते हैं।

हमारे देश में भ्रष्टाचार की एक विशेषता यह है कि राज्यतंत्र में ऊपर से नीचे तक यह फैला हुआ है। गाड़ी चलाने का लाइसेंस, पानी का कनेक्शन या किसी और मूल सेवा के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है। इस तरह मेहनतकश लोगों को और अधिक लूटा जाता है। मेहनतकशों पर पहले से ही भारी आर्थिक बोझ है, तो इस रिश्वतखोरी से उन पर बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। काम के स्थान पर अत्यधिक शोषण, पूंजीवादी बाज़ार में लूट, बढ़ते

टैक्स और मुद्रास्फीति के बोझ तले दबे हुए मजदूरों और किसानों को उन चीजों को पाने के लिए भी, जो वास्तव में उनका अधिकार है, रिश्वत का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है।

जनता को लूटने का हिन्दोस्तानी राज्य का यह चरित्र उपनिवेशवादी समय की विरासत है। हिन्दोस्तान को गुलाम बनाये रखने के लिए जिन राजनीतिक संस्थानों और राज्य तंत्रों को स्थापित किया गया था, उन्हें 1947 के बाद हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों ने बरकरार रखा, जिसकी वजह से आज भी हिन्दोस्तानी राज्य का यही चरित्र बना हुआ है।

1857 के महान ग़दर के दमन के बाद बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने एक ऐसा राज्य स्थापित किया जिसका मुख्य उद्देश्य था हिन्दोस्तान का अधिक से अधिक शोषण और लूट करने में मदद देना। हमारी जनता गुलाम थी, मूल अधिकारों से वंचित थी। कुछ गिने-चुने गद्दारों और उपनिवेशवादियों की सांठ-गांठ में काम करने वालों को भूमि, औद्योगिक लाइसेंस तथा विशेष अधिकारों से पुरस्कृत किया गया। इस तरह बड़े जमीनदारों और बड़े पूंजीपतियों का जन्म हुआ, जो अपनी तिजोरियां भरने के लिए देश को दुश्मन के हाथों बेचने वाले गद्दार वर्ग थे।

इन गद्दार बड़े पूंजीपतियों के प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन्होंने उपनिवेशवाद के पश्चात, हिन्दोस्तानी गणराज्य के आधार बतौर उपनिवेशवादी सत्ता के तंत्रों को बरकरार रखने का फैसला किया, ताकि खुद चालक की कुर्सी पर बैठकर देश की लूट को जारी रख सकें।

आज देश में कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जायें। अगर उन्हें लगता है कि आप शासक वर्ग से जुड़े हैं तो आपकी "जी-हुजूरी" की जायेगी और आपको अफसर के कमरे में प्रवेश करने की इजाज़त दी जायेगी। अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता है तो आपको एक के बाद दूसरी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। पूरा दिन बर्बाद करने के बाद आपको फिर एक और दिन आने को कहा जायेगा।

हिन्दोस्तान में बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े-बड़े औद्योगिक घराने और विश्वस्तरीय अस्त्र विक्रेता-खरीदार अपने धनबल का इस्तेमाल करके ऊंचे अफसरों व मंत्रियों को रिश्वत देकर अपना काम करवाते हैं। इस तरह राज्य के उच्च स्तरों पर काम करने वाले भ्रष्ट हो जाते हैं। बड़े पूंजीपति धन देकर और सेवानिवृत्ति के पश्चात लुभावने पदों के द्वारा उन्हें खरीद लेते हैं। इसके बदले में, पूंजीपतियों को मुनाफेदार संविदा, सौदे तथा टैक्स नीतियों व अन्य नीतियों में अपने पक्ष में परिवर्तन प्राप्त होते हैं। राज्य के कुछ एक गिने-चुने सदस्यों को अपने बेशुमार भावी मुनाफों का थोड़ा-सा हिस्सा देने में बड़े पूंजीपतियों को कोई एतराज़ नहीं है। बल्कि पूंजीपति इसे एक लाभदायक निवेश मानते हैं। ऊंचे स्तरों पर इस भ्रष्टाचार का बहुत छोटा-सा हिस्सा ही कभी-कभी खुलकर सामने आता है, मुख्यतः अंतर-पूंजीवादी स्पर्धा की वजह से।

निम्नतम स्तर पर भ्रष्टाचार तब सामने आता है जब राज्य के कर्मों उन सेवाओं के लिए, जो उन्हें जनता को मुफ्त में देना चाहिए, रिश्वत मांगते हैं। इसमें राज्य के कर्मों, जनता की सेवा करने

की बजाय, अपने पद का इस्तेमाल करके जनता को लूटते हैं। इसमें रिश्वत देने वाला इस व्यवस्था का शिकार है। उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। इन रिश्वतों से फायदा सिर्फ उन व्यक्तियों को ही नहीं होता है जो रिश्वत लेते हैं। जनता से ली गई रिश्वत कई स्तरों से गुजरकर ऊपर तक, मंत्री के हाथों और सत्ताधारी पार्टी की तिजोरियों में पहुंच जाती है।

एक और प्रकार का भ्रष्टाचार वह होता है जिसमें राज्य के कर्मी किसी परियोजना या सामाजिक कार्यक्रम में निवेश के लिए डाले गये सार्वजनिक धन का कुछ हिस्सा खुद हड़प लेते हैं। इसमें कुछ-एक भ्रष्ट निजी हितों के लाभ के लिए, समाज के आम हितों को दांव पर रखा जाता है।

इन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार अपने देश में मौजूद हैं तथा प्रतिदिन होते रहते हैं। निजी कंपनियां नियमित तौर पर, अपने खर्च को बढ़ाकर और मुनाफों को घटाकर बताती हैं, और इस तरह गैर-हिसाब या "काला" धन पैदा करती हैं। तरह-तरह के काम करवाने के लिए रिश्वत, राजनीतिक पार्टियों को धन का योगदान, इत्यादि, इस प्रकार के गैर-हिसाब खर्चों के लिए पूंजीपति अपनी इस गैर-हिसाब आमदनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो गैर-हिसाब धन बचता है उसे रियल इस्टेट, स्विस् बैंक खातों और दूसरे टैक्स बचाने वाले सुरक्षित स्थानों में डाल दिया जाता है।

पूंजीपतियों और जमीनदारों के अलग-अलग तबके अपनी-अपनी पार्टियां बनाते हैं तथा चुनाव अभियानों पर खूब पैसा निवेश करते

हैं। जब ये पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो इसका "भुगतान" करने का समय माना जाता है।

टाटा, अंबानी, बिरला और दूसरे इजारेदार घरानों की अगुवाई में, खुद को *इंडिया इनकारपोरेटेड* कहलाने वाली पूंजीवादी कंपनियां संसद की सभी मुख्य पार्टियों पर भारी असर डालती हैं। वे प्रमुख मंत्री पदों पर अपने चुनिंदा नेताओं को बिठाती हैं। पूंजीवादी इजारेदार कंपनियों के अधिकतम मुनाफों की लालच को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार काम करती है।

इस सबका समावेश करते हुए, हमारी पार्टी यह मानती है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी गंभीर समस्या है और मेहनतकश जनसमुदाय पर एक असहनीय बोझ है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था और उसे बरकरार रखने वाले राज्य का यह एक अभिन्न भाग है। थोड़े से थोड़े हाथों में अधिक से अधिक पूंजी के संकेंद्रित होने, और हिन्दोस्तानी राज्य के उच्चतम स्तरों पर इजारेदार पूंजीपतियों के बढ़ते प्रभुत्व की वजह से, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। सभी पूंजीवादी देशों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है पर अपने देश में यह बड़ी गहराई तक, निम्नतम स्तर के राजकीय कर्मियों तक फैला हुआ है क्योंकि राज्यतंत्र का उपनिवेशवादी चरित्र आज तक बरकरार रखा गया है।

plnHkku % लोकपाल जैसे संस्थानों को मजबूत करने से क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी जा सकती है?

यकी फल ग % केन्द्रीय सतर्कता आयोग और राज्य स्तरीय सतर्कता संस्थानों जैसे कई भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान पहले से ही स्थापित किये गये हैं। कर्नाटक को एक ऐसे राज्य का उदाहरण बताया जाता है जिसमें एक सशक्त व सक्रिय लोकपाल मौजूद है। परंतु कर्नाटक में भ्रष्टाचार के कम हो जाने का कोई सबूत नहीं है।

कोई भी संस्थान अलग-अलग वर्गों के हितों से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई संस्थान वर्तमान राज्य का अंग है तो वह पूंजीपतियों के हितों की हिफाजत करेगा, न कि मजदूरों और किसानों के हितों की। अगर कोई शक्तिशाली लोकपाल हो जो खुद भ्रष्ट न हो, वह भी ज्यादा से ज्यादा, कुछ गिने-चुने मंत्रियों या ऊंचे अफसरों को किसी खास भ्रष्ट काम के लिए पकड़ सकता है और दंडित कर सकता है। परंतु हमारे समाज में भ्रष्टाचार जिस हद तक फैला हुआ है, कुछ एक लोगों को बंद करने से उस पर असर नहीं होने वाला है।

अगर भ्रष्टाचार कुछ एक नेताओं की समस्या होती तो उन्हें बंद करने से भ्रष्टाचार पर काफी प्रभाव हो सकता था। परंतु भ्रष्टाचार कुछ एक नेताओं की समस्या मात्र नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ें वर्तमान आर्थिक व्यवस्था और उसकी हिफाजत करने वाले राज्य में हैं। इजारेदार पूंजीपति अपने हित में सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के लिए धनबल का प्रयोग नहीं रोकने वाले हैं। लोकपाल इसके बारे में या इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता है।

पूँजीपति % किसी ईमानदार राजनीतिक पार्टी को चुनकर सत्ता पर बिठाने से क्या कोई फर्क पड़ सकता है?

यकीन % ईमानदार राजनीतिक पार्टी क्या होती है? हमारा समाज वर्गों में बंटा हुआ है और इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी या तो मजदूर वर्ग और सभी शोषितों के प्रति ईमानदार है, या फिर पूँजीपति वर्ग और श्रम का शोषण करने वालों के प्रति ईमानदार है।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में मान्यता चाहने वाली पार्टियों को शासक वर्ग के प्रति ईमानदार होना पड़ता है और मेहनतकशों के सामने झूठ बोलना पड़ता है। पंजीकृत राजनीतिक पार्टी बनने का पहला कदम उस झूठ पर कसम खाने को मजबूर करता है कि वर्तमान हिन्दोस्तानी गणराज्य और उसका संविधान लोगों द्वारा रचित है तथा सामूहिक जनमत का प्रतिनिधित्व करता है। सच तो यह है कि गद्दार पूँजीपतियों के प्रतिनिधियों द्वारा, अपने वर्ग के तंग हितों की हिफाजत करने के लिए, इस संविधान को लिखा गया था।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया के ज़रिये अधिकतम सीटों पर कब्ज़ा करके कार्यकारी सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए, किसी भी पार्टी को ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना पड़ता है जो "जीत सकते हैं"। बड़े-बड़े इजारेदार पूँजीपतियों के समर्थन प्राप्त पार्टियों का मुकाबला करने के लिए उसके पास पर्याप्त धनबल होना चाहिए। मेहनतकश लोग जो सुनना चाहते हैं वह कहना और फिर सत्ता में आकर पूँजीपति वर्ग जो चाहता है वह करना, इस कला में भी उसे माहिर होना पड़ता है।

कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग के प्रति ईमानदार होती है। शोषित और दबे-कुचले मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकशों को सच्ची परिस्थिति के बारे में जागरुक करने और उनकी समस्याओं का क्रांतिकारी समाधान बताने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी वचनबद्ध है। सच को बताकर और मजदूर वर्ग तथा सभी प्रगतिशील ताकतों की जागरुकता बढ़ाकर ही वर्ग के आधार पर शोषण व भेदभाव से समाज की मुक्ति की हालतें पैदा की जा सकती हैं।

हमारी पार्टी वर्तमान पूंजीवादी लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी बनने के लिए संघर्ष नहीं करती है। हम एक नये संविधान के आधार पर, एक संपूर्णतः नये राज्य व राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित करके, मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनसमुदाय को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष करते हैं। अपने विचारों के प्रचार के लिए हम चुनावों का इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु वर्तमान राज्य और उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में भ्रम कभी नहीं फैला सकते हैं।

यह सोच कि वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया के ज़रिये कोई पार्टी सत्ता में आयेगी और भ्रष्टाचार के जाल को झाड़ू मारकर साफ कर देगी, यह दो गलत धारणाओं पर आधारित है। पहली धारणा यह कि सत्ताधारी पार्टी सर्वशक्तिमान है और अपनी मर्जी के अनुसार अजेंडा अपना सकती है। दूसरी धारणा यह कि चुनावों के परिणाम को जनता निर्धारित करती है।

वास्तविकता यह है कि इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के साथ नजदीकी से जुड़ा हुआ हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग सर्वशक्तिमान है और वह ही अजेंडा तय करता है।

वह अपने पूर्व-निर्धारित अजेंडे को लागू करने के इरादे से, इस या उस राजनीतिक पार्टी को चुनने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है।

मिसाल के तौर पर, हिन्दोस्तान की राजनीतिक आज़ादी हासिल होने से कुछ वर्ष पूर्व, टाटा, बिरला व कुछ और बड़े पूंजीपतियों ने अपने आर्थिक विशेषज्ञों के साथ इकट्ठे होकर, उपनिवेशवाद के पश्चात हिन्दोस्तान के आर्थिक विकास के लिए 15 वर्ष की भावी योजना बनायी थी। उसे बॉम्बे प्लान का नाम दिया गया और 1944 व 1945 में दो भागों में प्रकाशित किया गया। उस योजना को "टाटा-बिरला प्लान" के नाम से भी जाना जाता है। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उस योजना को अपनाया और वह नेहरू सरकार की पहली तीन सरकारी पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बना।

आज भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है। बीते दो दशकों में हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों ने उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये भूमंडलीकरण के अजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम किया है। वे आज "भ्रष्टाचार विरोधी तथा सुशासन के सुधारों" को बढ़ावा देने के लिए भी मिलकर काम कर रहे हैं।

पूंजीपति लोगों के सामने प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों को बढ़ावा देने के लिए चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण तथा मीडिया अभियान चलाते हैं। बड़े पूंजीपति अजेंडा निर्धारित करते हैं और फिर लोगों के सामने तथाकथित विकल्पों को रखते हैं। इन्हीं में से किसी एक को चुनने के लिये जनता को बाध्य होना पड़ता है।

जो पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है, वह "जनादेश" प्राप्त करने का दावा करती है। परंतु उसे आदेश देने वाला पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग की इच्छा ही समाज पर थोपी जाती है। वर्तमान व्यवस्था में मेहनतकश जनसमुदाय शक्तिहीन है। मेहनतकश जनसमुदाय की भूमिका चुनाव के समय मतदान करने तक सीमित है। उनके मतदान से पूंजीपतियों के अधिनायकत्व के राज को वैधता प्राप्त होती है।

plunthku % मेहनतकश जनसमुदाय के हाथ में राज्य सत्ता लाने के लिए क्या करना जरूरी होगा?

yky fl g % वर्तमान राज्य इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में चंद शोषकों के शासन का साधन है। उसकी जगह पर एक नये राज्य की स्थापना करनी होगी, जो मजदूर वर्ग और उसकी हिरावल कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में मेहनतकश जनसमुदाय के शासन का साधन होगा।

मजदूर-किसान शासन के नये राज्य की स्थापना करने में कम्युनिस्टों को संघर्ष में मजदूर वर्ग को अगुवाई देनी होगी। हमें जनता के हाथ में, न कि संसद में, संप्रभुता देने वाले एक नये संविधान के लिए संघर्ष में जनसमुदाय को लामबंद करना होगा।

हम मेहनतकश लोग समाज की बहुसंख्या हैं। हमें समाज का मालिक बनना होगा। यह अपने देश की लूट को खत्म करने के सदियों से चल रहे संघर्ष की निरंतरता है। अपने देश की

लूट-खसोट के लिए बर्तानवी पूंजीपतियों ने जिस शासन व्यवस्था और संपत्ति के संबंधों को स्थापित किया था, उन्हें 1947 के बाद हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों ने और कुशल बना दिया है। 1857 और फिर 1915 में जो ग़दर हुआ था, वह आज भी जारी है।

हमारा लक्ष्य है एक ऐसे समाज और राज्य की रचना करना, जो सभी के लिए खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसमें आधुनिक मानव जीवन की सभी मौलिक जरूरतें शामिल हैं — सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं बल्कि बिजली, स्वच्छ पीने का पानी, उत्पादक रोजगार, अच्छे स्कूल तथा स्वास्थ्य सेवा।

हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें हरेक सदस्य उत्पादक और सुखी जीवन जी सकेगा और सार्वजनिक फैसलों को लेने तथा समाज की दिशा तय करने में भाग ले सकेगा।

मजदूरों और किसानों को उच्चतम फैसले लेने वाले निकायों में अपने सर्वोत्तम प्रतिनिधियों का चयन करके उन्हें चुनने तथा समाज का कार्यक्रम तय करने में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए। मजदूरों और किसानों को चुने गये प्रतिनिधियों से जवाबदेही मांगने और किसी भी समय पर चुने गए प्रतिनिधि को, अगर वह जनता के लिये काम नहीं करता है, वापस बुलाने की क्षमता होनी चाहिए। लोगों को कानून बनाने और बदलने तथा संविधान को फिर से लिखने का अधिकार होना चाहिए।

हम ऐसे नये राज्य और व्यवस्था का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रेरित हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मेहनत करने वालों का आदर हो तथा उन्हें अपने सम्मिलित श्रम से उत्पन्न धन का लाभ मिले। हिन्दोस्तानी समाज तब एक आधुनिक सभ्य समाज की नींव पर खड़ा होगा। इसी को हम हिन्दोस्तान का *uofueklk* कहते हैं।

plunHkku % अपने देश में चल रहे वर्ग संघर्ष में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है?

yky fl g % हाल के वर्षों में अपने देश में जन-विरोध बहुत तेज़ हो गया है। भ्रष्टाचार और असहनीय मुद्रास्फीति के खिलाफ़, निजीकरण और विदेशी पूंजी के लिए द्वार खोले जाने के खिलाफ़, राजकीय आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, बड़ी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण आदि के खिलाफ़, लाखों-लाखों लोगों ने प्रदर्शन किये हैं। मजदूर वर्ग के संघर्ष बढ़ गये हैं। किसानों, महिलाओं, आदिवासियों तथा सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी दमन और सैनिक शासन के पीड़ितों के संघर्ष भी बढ़ गये हैं।

हमारी पार्टी ने इन जन संघर्षों में सक्रियता से भाग लिया है। हिन्दोस्तान के वर्तमान संविधान में निहित, संसद की संप्रभुता के असूल को हमने चुनौती दी है। बर्तानवी पूंजीवादी राजनीतिक सिद्धांत के इस असूल के अनुसार, सिर्फ़ संसद को कानून बनाने या बदलने की ताकत है। कानून बनाने या बदलने, मूल कानून (संविधान) को भी बदलने की लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है।

हमने जनता के हाथों में संप्रभुता की मांग की हिमायत की है। "लोक राज" की मांग से सड़कों पर उतरे लोग आकर्षित हुये।

2012 के अंतिम महीनों में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तो हालत बदल गयी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन से निकली हुई यह नयी पंजीकृत चुनावी पार्टी खुद को बाकी सभी पार्टियों के "स्वच्छ और ईमानदार" विकल्प के रूप में पेश करती है। इस पार्टी के उभरने से वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्था और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में नये-नये भ्रम पैदा होने लगे हैं।

जनता के जज़बातों का प्रतिबिंबन करती हुई, आम आदमी पार्टी ने अपने *विजन डॉक्यूमेंट* में यह ऐलान किया है कि उनका उद्देश्य आम लोगों के हाथों में राज्य सत्ता लाना है। साथ ही साथ, यह पार्टी संविधान की कसम खाती है और संसदीय प्रणाली का हिस्सा बन चुकी है। अगर संसद की संप्रभुता के असूल तथा उस असूल पर आधारित संविधान को चुनौती नहीं दी जाती है तो लोगों के हाथ में राज्य सत्ता कैसे लायी जा सकती है?

आम आदमी पार्टी के नेता ने ऐलान किया है कि वह पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है, सिर्फ "क्रोनी कैपिटलिज़्म" के खिलाफ है। वह बर्तानवी-अमरीकी साम्राज्यवाद के मंत्र को दोहरा रहा है। यह मंत्र इस वास्तविकता को छिपाता है कि पूंजीवाद अब इजारेदार पूंजीवाद के पड़ाव पर पहुंच गया है। सत्ता में बैठे नेताओं और बड़े-बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के आपस में निकट संबंध कोई अपवाद नहीं, बल्कि स्वाभाविक गतिविधि है। सिर्फ हिन्दोस्तान और

अन्य भूतपूर्व उपनिवेशों में ही नहीं, बल्कि सबसे अगुवा पूंजीवादी देशों में भी ऐसा ही है। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि में एक तरफ इजारेदार कंपनियों और बैंकों तथा दूसरी तरफ राज्य के उच्चतम अधिकारियों, इनके आपस में बहुत निकट संबंध हैं।

“क्रोनिङ्ग” बिना पूंजीवाद, यानि पूंजीपतियों और नेताओं की आपसी सांठ-गांठ के बिना पूंजीवाद, एक सपना मात्र है। यह सोचना कि इजारेदार पूंजीवाद को गैर-इजारेदार, स्पर्धाकारी पूंजीवाद में बदला जा सकता है, यह बहुत बड़ा झूठा सपना है। इतिहास के चक्र को पीछे नहीं घुमाया जा सकता है। इजारेदार पूंजीवाद को सिर्फ समाजवाद में ही बदला जा सकता है।

आम आदमी पार्टी पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संघर्ष में पक्ष-निरपेक्ष होने का दावा करती है। परंतु इस संघर्ष में पक्ष-निरपेक्ष होना मुमकिन नहीं है। हमारा वर्तमान समाज वर्गों में बंटा हुआ है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को या तो पूंजीपति वर्ग की सेवा करनी पड़ेगी, या मजदूर वर्ग की। जो पार्टी पूंजीवाद की हिफाजत करती है, वह पूंजीवादी शासन को बरकरार रखने का काम करती है।

“आम आदमी” की अवधारणा मजदूर वर्ग की पहचान को मिटाने का काम करती है। यह मजदूरों और किसानों की राजनीतिक जागरुकता के स्तर को नीचे लाती है। यह उन्हें अपने वर्ग की पहचान को भुलाने को प्रेरित करती है, खुद को आम आदमी मानने और पूंजीपति वर्ग के “ईमानदार” सदस्यों से अगुवाई की उम्मीद करने को प्रेरित करती है।

भ्रष्टाचार अपने देश की आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता का अभिन्न भाग है। अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को शोषण के खिलाफ संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता है।

नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स के सरकारी आंकड़ों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2012-13 के दौरान पूंजीपति वर्ग ने मुनाफा, ब्याज और किराये की आमदनी के रूप में देश के अन्दर से लगभग 31 लाख करोड़ रुपये अपनी जेब में डाले हैं। यह उस वर्ष के दौरान, पूंजी द्वारा निचोड़े गये बेशी मूल्य का वैध और हिसाब किया हुआ, यानि "सफेद" हिस्सा है। इसके अलावा, सरकारी हिसाब-किताब के दायरे से बाहर भी, बहुत बड़ी रकम निचोड़ी गयी। यह बेशी मूल्य का "काला" हिस्सा है, जो कुछ अनुमानों के अनुसार, "सफेद" हिस्से का लगभग आधा है।

हमारा संघर्ष वैध और अवैध, काले और सफेद, हर प्रकार की लूट के खिलाफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को शोषण के खिलाफ संघर्ष से अलग करने से पूंजीवाद और वर्तमान हिन्दोस्तानी राज्य के बारे में गलत सोच और खतरनाक भ्रम पैदा होते हैं।

वर्ग संघर्ष में आम आदमी पार्टी की भूमिका उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष में कांग्रेस पार्टी की भूमिका के लगभग समान है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेशर कूकर के सेपटी वॉल्व की भूमिका अदा की थी, ताकि 1857 के ग़दर के जैसा एक और क्रांतिकारी आंदोलन न हो सके।

कांग्रेस पार्टी ने जनता के गुस्से और असंतोष को ऐसे रास्ते पर मोड़ने की भूमिका निभायी, जो उपनिवेशवादी शासकों को मंजूर था और गद्दार हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के लिए लाभदायक था। कांग्रेस पार्टी ने लूट की उपनिवेशवादी व्यवस्था, कानून के उपनिवेशवादी शासन और राज्य सत्ता के संस्थानों को हिलाये बिना, "मान्य" तरीकों से राजनीतिक आज़ादी हासिल करने के रास्ते पर लोगों को गुमराह किया।

यह भ्रम फैलाकर कि पूंजीवाद का तख्तापलट किये बिना, वर्तमान संविधान और चुनाव प्रक्रिया के अंदर ही भ्रष्टाचार की समस्या हल हो सकती है, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी जागरुकता के विकास को रोक रही है।

पूँजीवाद % बेशी मूल्य को किस प्रकार से निचोड़ा जाता है, क्या आप यह समझा सकते हैं?

विक्रय वस्तुओं का लेन-देन, मूल्य के नियम के अनुसार होता है। आम तौर पर किसी वस्तु के उत्पादन में जितना सामाजिक श्रम ज़रूरी होता है, उसके अनुपात में वस्तुओं का लेन-देन होता है। किसी वस्तु का मूल्य उसे उत्पन्न करने में ज़रूरी श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। इसे मूल्य का नियम कहते हैं।

यूरोप में 18वीं सदी में अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के नियम की खोज की थी परंतु वे यह नहीं समझ पाये कि पूंजीपतियों के मुनाफे

का स्रोत क्या है। अगर बाज़ार में समान मूल्य की वस्तुओं की लेन-देन होता है, तो एक वर्ग कैसे अपनी निजी संपत्ति के मूल्य को लगातार बढ़ा सकता है? पूंजीपति बार-बार अर्थव्यवस्था में कुछ धन डालकर उसमें से कई गुणा ज्यादा धन कैसे निकाल सकते हैं और इस तरह, लगातार अपना धन बढ़ा सकते हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। फिर 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने अपना बेशी मूल्य का सिद्धांत पेश किया।

मार्क्स ने समझाया कि जब श्रम शक्ति को खरीदा या बेचा जाता है तो दूसरी वस्तुओं की तरह, उसके मालिक को अपनी श्रम शक्ति का मूल्य मात्र ही मिलता है। मजदूर को सिर्फ उतना वेतन मिलता है जितना उसकी विक्रय वस्तु, यानि उसकी श्रम शक्ति को पुनः उत्पादित करने के लिए जरूरी होता है। अच्छी से अच्छी हालतों में भी, जब मजदूर संगठित होते हैं और अपने सांझे हित की हिफाज़त करने के काबिल होते हैं, तब भी उन्हें उतना ही वेतन मिलता है जितना उनके जीवन स्तर को बनाये रखने और प्रतिदिन सुबह काम पर पहुंचने के लिए जरूरी होता है। बढ़ती महंगाई और टैक्सों के चलते, मजदूर को वह जीवन स्तर बनाये रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।

मजदूर के श्रम से जो मूल्य पैदा किया जाता है, वह उसके जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए जरूरी मूल्य से कहीं ज्यादा है। इस अतिरिक्त मूल्य या बेशी मूल्य को पूंजी का मालिक मुनाफा, ब्याज और किराये के रूप में हथिया लेता है। मजदूर प्रतिदिन अपने काम के पहले कुछ घंटों में अपने वेतन का मूल्य पैदा करता है।

बाकी समय काम करके वह पूंजीवादी मालिक के लिए बेशी मूल्य उत्पन्न करता है।

किसान जो अपनी छोटी-छोटी भूमि को जोतते हैं, वे पूंजीवादी बाज़ार और उधार के बाज़ार में लूटे जाते हैं। उनके श्रम से पैदा किये गये मूल्य का कुछ हिस्सा पूंजीवादी व्यापारी कंपनी लूट लेती हैं क्योंकि वे कृषि बाज़ार में अपनी इजारेदारी के रुतबे का फायदा उठाकर फसलों को सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं। किसानों के श्रम के मूल्य का एक और हिस्सा उन्हें उधार देने वाले संस्थान और व्यक्ति लूट लेते हैं, जो नियमित तौर पर ब्याज और मूलधन का भुगतान मांगते हैं। अपनी भूमि पर किसान की मालिकी भी खतरे में होती है क्योंकि बड़े-बड़े पूंजीपति अपने मुनाफेदार व्यवसायों के लिए अपनी मनपसंद भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं और राज्य उनकी इस चाहत को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है।

मजदूर और किसान सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ़ हैं क्योंकि उनके श्रम के फल को लूटा जाता है।

हमें सार्वजनिक धन और सार्वजनिक संपत्ति की हर प्रकार की लूट को फौरन रोकने के लिए, बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा निजीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम को फौरन रोकने के लिए संघर्ष करना होगा। सामाजिक उत्पादन के साधनों की मालिकी को बदलकर, मेहनतकश जनसमुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाने के वैकल्पिक कार्यक्रम के लिए हमें संघर्ष करना होगा।

इस समय हमारे देश में सामाजिक उत्पादन के साधन टाटा, अंबानी, बिरला और अन्य इजारेदार घरानों की अगुवाई में, कुछ मुट्ठीभर पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में संकेंद्रित हैं। इन्हें सामाजिक संपत्ति में बदलना होगा और समाज के सभी सदस्यों को काम, रोजगार, खुशहाली और सुरक्षा दिलाने के लिए इनका इस्तेमाल करना होगा। जब ऐसा किया जायेगा तब कोई भी दूसरों के श्रम का शोषण करके नहीं पनप सकेगा। मानव श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त धन का इस्तेमाल करके मेहनतकशों के जीवनस्तर और उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जायेगा।

किसानों, कारीगरों और अन्य स्वरोजगार वालों की निजी संपत्ति को पूंजीवादी कंपनियों से सुरक्षित रखना होगा। छोटे उत्पादकों को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का सामूहिकीकरण करने में राज्य सबतरफा समर्थन और प्रोत्साहन देगा, ताकि उनके उत्पादन का स्तर बढ़ सके और आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सके।

ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कौन ला सकता है? मजदूर वर्ग ही वह वर्ग है जो किसानों के साथ गठबंधन बनाकर, यह परिवर्तन ला सकता है। यह भूमिका निभाने के लिए मजदूर वर्ग को संगठित करना और अगुवाई देना कम्युनिस्टों का काम है।

pln#kkku % समाचार माध्यम में भ्रष्टाचार वाद-विवाद का मुख्य मुद्दा क्यों बन गया है?

kyk fl g % इस सवाल का जवाब देने के लिए यह समझना

जरूरी है कि मीडिया पर किसका नियंत्रण है। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की पूंजीवादी कंपनियां समाचार माध्यम, यानि मीडिया पर नियंत्रण करती हैं।

मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका सी.एन. एन.-आई.बी.एन. पर नियंत्रण है, उसने जनवरी 2012 में नेटवर्क 18 समूह के साथ समझौता किया और हिन्दोस्तान का सबसे बड़ा मीडिया समूह बन गया, रूपर्त मरडोक के स्टार समूह से भी बड़ा। आदित्य बिरला समूह लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के 27.5 प्रतिशत का मालिक है और यह कंपनी *आज तक* और *हेडलाइंस टुडे* तथा *इंडिया टुडे* समेत कई पत्रिकाओं का मालिक है। इसी तरह, सभी प्रमुख दैनिक अखबारों तथा टीवी न्यूज़ चैनलों पर अलग-अलग इजारेदार पूंजीवादी समूहों का नियंत्रण है।

दैनिक अखबारों के मुख्य संपादकों और टीवी न्यूज़ चैनलों के एंकर पत्रकारों को मीडिया कंपनियों के पूंजीवादी मालिकों द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है। कोई संवाददाता शायद निर्धारित निर्देश से अवगत न हो, परंतु मुख्य संपादक यह सुनिश्चित करता है कि कोई ऐसी बात न छपी जाये या प्रचारित हो, जो पूंजीवादी मालिक न चाहता हो। अगर कोई मुख्य संपादक ऐसी बातों को छापता है जो मालिकों को पसंद नहीं है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है।

आज मीडिया में भ्रष्टाचार चर्चा और वाद-विवाद का एक मुख्य मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि हिन्दोस्तानी और विदेशी बड़े-बड़े

इजारेदार पूंजीपति उस पर लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। वे लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे सभी खिलाड़ियों पर दबाव डाल रहे हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया जाये। प्रतिस्पर्धी पार्टियों के आपस में इस बात पर लड़ाई चल रही है कि इस पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम को लागू करने में कौन सबसे कुशल होगा। इसलिए नरेन्द्र मोदी हो या राहुल गांधी, सभी मुख्य खिलाड़ी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा बतौर पेश कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है कि भ्रष्टाचार को अव्वल दर्जा दिया जा रहा है। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान चला था। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में वी.पी. सिंह ने एक और भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को अगुवाई दी थी। बड़े पूंजीपतियों ने आपस में हिसाब चुकाने के लिये भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनों का इस्तेमाल किया है। परंतु इससे भ्रष्टाचार की मात्रा बिल्कुल नहीं घटी है, बल्कि जैसे-जैसे इजारेदार कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है।

कई वर्षों से विश्व बैंक, आई.एम.एफ., यू.एन.डी.पी. और दूसरे बहुपक्षीय संस्थान बाज़ार उन्मुख आर्थिक नीतिगत सुधारों के साथ-साथ, "भ्रष्टाचार-विरोध और सुशासन के सुधारों" के कार्यक्रम को बढ़ावा देते आ रहे हैं। साम्राज्यवादियों की यह कोशिश है कि दुनिया के सभी देशों में पूंजीवादी स्पर्धा के एक जैसे नियम हों ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर, सभी बाज़ारों में सुगमता से घुस सकें।

हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपति निचले स्तरों पर, जहां संभव हो, भ्रष्टाचार को कम करना चाहते हैं। वे हिन्दोस्तानी राज्य की विश्वसनीयता में उन्नति लाना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी बेहतर छवि बनाना चाहते हैं।

इस समय पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार पर इतना ध्यान देने की राजनीतिक वजह यह है कि वे शोषण, समाज-विरोधी आर्थिक सुधार कार्यक्रम, अमरीकी साम्राज्यवाद की हमलावर अपराधी हरकतों, राजकीय आतंकवाद, आदि जैसी समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं।

पूँजीपतियों % सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आपके क्या विचार हैं?

यह सोच कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोगों को सत्ता में लाया जा सकता है, यह सैद्धांतिक तौर पर गलत सोच है। राजनीतिक सत्ता वह साधन है जो सामाजिक हालतों को बदल सकती है। स्वाभाविकतः, राजनीतिक सत्ता को केंद्रीकृत होना पड़ता है।

क्या किसी गांव की पंचायत, किसी शहरी इलाके की मोहल्ला सभा या इस प्रकार का कोई स्थानीय निकाय, राज्य या केंद्र के स्तर के अधिकारियों के समर्थन के बिना, स्थानीय मामलों पर पूरा नियंत्रण कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक जीवन आपस में बहुत नजदीकी से जुड़े हुये हैं। सिंचाई के जल का सवाल हो या सड़कों का या बिजली की

सप्लाई का, ऐसी समस्यायें अब सिर्फ एक गांव या एक इलाके की सीमा के अंदर नहीं हल हो सकतीं। ऐसी समस्याओं का हल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लिये गये फैसलों पर निर्भर है। अतः मेहनतकशों के लिये सिर्फ अपने स्थानीय मामलों पर नियंत्रण काफी नहीं है। मेहनतकशों को पूरे देश पर अपना शासन स्थापित करना होगा।

सिर्फ स्थानीय संसाधनों पर ही नहीं बल्कि देश के संपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के लोगों के संघर्ष को मजदूर वर्ग को अगुवाई देनी होगी।

साम्राज्यवाद और पूंजीपति नापाक इरादों के साथ, विकेंद्रीकरण के विचार को बढ़ावा देते हैं। उनका उद्देश्य है अपने प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करना, उनकी ताकत को नष्ट करना। इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं।

1997 में जब विश्व बैंक के अध्यक्ष वुल्फेंसन दिल्ली आये थे तो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उन्हें मिलने को भागे आये और अपने राज्य को दक्षिण कोरिया या थाईलैंड जैसे एक और "एशियाई बाघ" बनाने के लिये विश्व बैंक से मदद मांगी। उस वर्ष विश्व बैंक ने भारत सरकार पर यह दबाव डाला कि अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ "नीतिगत वार्ता" करने और उन्हें नीति पर आधारित उधार देने की विश्व बैंक को इजाज़त दी जाये। इस रणनीति का मकसद राज्य सरकारों के आपस में स्पर्धा प्रोत्साहित करना और केंद्र सरकार के नियंत्रण को कमजोर करना था।

कुछ लोग यह मानते हैं कि हिन्दोस्तानी केंद्रीय राज्य का कमजोर हो जाना सकारात्मक है। यह गलत सोच है। केंद्रीय राज्य का कमजोर होना तभी सकारात्मक होगा जब क्रांतिकारी ताकतें उसे कमजोर करेंगी और उसकी जगह पर मजदूर-किसान शासन का नया राज्य स्थापित करेंगी। परन्तु अगर विदेशी ताकतें अपना प्रभुत्व जमाने के लिये हिन्दोस्तानी केंद्रीय राज्य को कमजोर कर रही हैं तो यह बहुत खतरनाक है।

फैसले लेने की प्रक्रिया से अधिकतम लोगों को बाहर रखकर पूंजीपति वर्ग अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता को संकेंद्रित करता है। श्रमजीवी वर्ग लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के असूलों के आधार पर, फैसले लेने की प्रक्रिया में अधिकतम लोगों को सम्मिलित करके, अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता को संकेंद्रित करेगा।

plnHkku % लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद क्या है?

ky fl g % लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद श्रमजीवी वर्ग का संगठनात्मक असूल है। श्रमजीवी वर्ग की पार्टी और श्रमजीवी राज्य का निर्माण इसी असूल पर आधारित हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका मजदूर वर्ग की हिरावल की भूमिका है। हमारा उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि सबसे पहले, मजदूर वर्ग किसानों के साथ गठबंधन बनाकर, राज्य सत्ता पर कब्जा कर ले। जब मजदूर वर्ग सत्ता में आ जाता है, तब पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक वर्ग द्वारा दूसरे के शोषण

और हर प्रकार के वर्गीय भेदभाव के पूरी तरह मिट न जाने तक, मजदूर वर्ग का शासन कायम रहे।

पूरी पार्टी को एक आवाज़ में बोलना होगा और एकजुट ताकत बनकर काम करना होगा, ताकि हम अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। मजदूर वर्ग को पूंजीवादी शोषण के खिलाफ़ एक मोर्चा बनाकर संघर्ष करना होगा, अलग-अलग दिशाओं में खींचने वाले अनेक मोर्चों में नहीं। मजदूर वर्ग को एक शक्तिशाली ताकत में बदलना सिर्फ़ लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के आधार पर ही संभव हो सकता है।

हमारी पार्टी में उच्चतम फैसले लेने की ताकत पार्टी के महाअधिवेशन में है। महाअधिवेशन संपूर्ण सदस्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले नुमाइंदों का अधिवेशन है। महाअधिवेशन पार्टी की लाइन को तय करता है और केंद्रीय समिति का चयन करता है, जो दो महाअधिवेशनों के अंतराल में उच्चतम निकाय होती है। केंद्रीय समिति को महाअधिवेशन द्वारा लिये गये किसी भी फैसले को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने के लिये एक और महाअधिवेशन बुलाना पड़ता है।

हम केंद्रीयवाद को ऐसे नहीं सुनिश्चित करते ताकि अधिकतम सदस्यों को फैसले लेने के अधिकार से बाहर रखा जाये। हम सभी सदस्यों के बीच में लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीयवाद सुनिश्चित करते हैं। इसमें सभी सदस्य मिलकर पार्टी की लाइन को तय करते हैं, सामूहिक फैसलों को लेने में सक्रियता से भाग लेते हैं,

व्यक्तिगत तौर पर खास जिम्मेदारियां लेते हैं और हमेशा लिये गये फ़ैसलों को लागू करने के लिये संघर्ष करते हैं। यह लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है।

लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन और श्रमजीवी राज्य के संगठन का मार्गदर्शक है। यह असूल समाजवादी समाज में जनता और निर्वाचित सत्ता के तंत्रों के आपसी संबंध का मार्गदर्शक है। जनता संप्रभु है और अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपती है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद पर आधारित ऐसा राज्य और राजनीतिक प्रक्रिया मजदूर वर्ग के लिये सबसे उपयुक्त है। इसके ज़रिये मजदूर वर्ग पूंजीपतियों को हराने के लिये और उन्हें फिर से सत्ता में वापस आने से रोकने के लिये, मेहनतकश जनसमुदाय को राजनीतिक कार्यवाहियों में लामबंद कर सकता है।

पूंजीवादी पार्टियां और राज्य जनसमुदाय को बाहर रखने के आधार पर संकेंद्रित हैं। इस प्रकार का केंद्रीयवाद अफसरशाही, फौजी, फासीवादी केंद्रीयवाद है। श्रमजीवी वर्ग को अपने वर्ग के इरादों को हासिल करने के लिये, फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में अधिकतम लोगों को शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के आधार पर ही वह ऐसा कर सकता है।

यह समझना ज़रूरी होगा कि अमरीकी साम्राज्यवाद विकेंद्रीकरण के नारे का इस्तेमाल करके, उन दूसरे राज्यों को कमजोर करने व तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसके वर्चस्व के लिये संभावित खतरे या रुकावट बन सकते हैं।

पूँजीवादी % क्या साम्राज्यवाद द्वारा हिन्दोस्तान को अस्थायी बनाने का खतरा है?

हाँ, यह गंभीर खतरा है। आज दुनिया के अधिकतम देशों, खास तौर पर एशिया के देशों, जिनमें हमारा देश भी एक है, को बर्तानवी-अमरीकी साम्राज्यवाद की पैशाचिक योजनाओं से सतर्क रहना पड़ेगा। बीते कुछ दशकों में हम "लोकतंत्र", "नारंगी क्रांति", इत्यादि के नाम से, दूसरे देशों को अस्थाई बनाने, उनके अंदर झगड़े उकसाने और उनमें "सत्ता परिवर्तन" करवाने की सुनियोजित योजना लागू होते देख रहे हैं।

जब से 1917 में रूस में श्रमजीवी क्रांति की फतह हुई, तब से यूरोप और उत्तरी अमरीका की अगुवा पूँजीवादी ताकतों ने साम्राज्यवादी व्यवस्था को बचाने और समाजवाद के आंदोलन को नष्ट करने के लिये, आपसी सांठ-गांठ में काम किया है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत के समय से, साम्राज्यवादी व्यवस्था के किसी भी संभावित खतरे को नष्ट और नाकाम करने के इस विश्वव्यापी प्रयास में अमरीकी साम्राज्यवाद ने अगुवा भूमिका अदा की है।

1954 में अमरीका के बड़े पूँजीपति घराने, रॉकफेलर और फोर्ड और यूरोप के बड़े पूँजीपतियों के कुछ गिने-चुने प्रतिनिधियों ने मिलकर एक गिरोह बनाया जो प्रति वर्ष एक बार गुप्त बैठक करता है। इसे बिल्डरबर्ग गिरोह कहा जाता है। इसमें यूरोप और उत्तरी अमरीका के 130 प्रमुख वित्तीय निगम, राजनीतिक, सैनिक, अकादमिक और मीडिया संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। प्रारंभिक अंदरूनी गिरोह में

अमरीका के डेविड रॉकफेलर और रॉकफेलर तथा फोर्ड फाउंडेशन के प्रधान और नेदरलैंड्स के युवराज बर्नहार्ड, जो 1934 तक नाजी पार्टी के सदस्य रहे, शामिल थे। 1954 में इस गिरोह की प्रथम बैठक को अमरीकी गुप्तचर एजेंसी सी.आई.ए. से वित्तीय मदद मिली। इसका मकसद था अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों, संयुक्त राज्य अमरीका की अगुवाई में नाटो ताकतों के वर्चस्व को और मजबूत करना।

बिल्डरबर्ग गिरोह की गुप्त बैठकें अभी भी होती हैं, जिनमें विश्व स्तर की साजिशें रची जाती हैं। नाटो के सदस्य देशों की निर्वाचित सरकारों के पीछे से यह एक गुप्त ताकत बतौर काम करता है। यह विश्व स्तर पर एक सरकार के विचार को बढ़ावा देता है। वह सर्वोच्च ताकत अमरीका की अगुवाई में, एक ध्रुवीय दुनिया स्थापित करने की अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति के समर्थन में प्रभावशाली विचारकों, जनमत रचने वालों आदि को चुनता है और उन्हें बढ़ावा देता है।

विश्व बैंक का भूतपूर्व अध्यक्ष वुल्फेंसेन बिल्डरबर्ग गिरोह की संचालक समिति का सदस्य था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के वर्तमान प्रबंधक निर्देशक, क्रिस्टीन लागार्ड ने, इस पद पर नियुक्त होने से पहले, 2011 में बिल्डरबर्ग गिरोह की वार्षिक बैठक में भाग लिया था।

बिल्डरबर्ग गिरोह अनेक फाउंडेशन संस्थानों के ज़रिये, सारी दुनिया में अनेक गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों

और शोध संस्थानों को धन देता है। वह पूरी दुनिया में मकड़ी की जाल जैसे फैला हुआ है। कई व्यक्ति अनजाने में इस जाल में फंस जाते हैं। साम्राज्यवादी कई भूमिगत गिरोहों को भी स्थापित करते हैं, जो आतंकवादी हमले, बलपूर्वक सत्ता पलट, नस्लवादी हिंसा और गृह युद्ध, आदि आयोजित करते हैं। इस विश्वव्यापी जाल के द्वारा साम्राज्यवादी अलग-अलग देशों में अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को अस्थाई बनाना, अराजकता फैलाना, और इस तरह बर्तानवी-अमरीकी साम्राज्यवाद के पक्ष में "सत्ता परिवर्तन" के लिये हालतें तैयार करना, यह इस समय विश्व साम्राज्यवाद के हमले का हिस्सा है।

कई जगह साम्राज्यवादी कठपुतली सत्तायें स्थापित की गई हैं। ऐसा या तो खुलेआम विदेशी हमले और कब्जे के ज़रिये किया गया है, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में, या गृह युद्ध भड़काकर गुप्त हरकतों के ज़रिये, जैसा कि लीबिया में किया गया और अब सीरिया में कोशिश की जा रही है। अमरीकी साम्राज्यवाद यूक्रेन, वेनेजुएला और कई अन्य देशों में अस्थाई हालत बना रहा है और अराजकता फैला रहा है। वह अनेक जन आंदोलनों में हस्तक्षेप कर रहा है और हमारे देश में भी ऐसा कर रहा है। वह कई प्रकार के साधनों को विकसित कर रहा है ताकि अगर हिन्दोस्तानी शासक वर्ग अमरीकी साम्राज्यवाद के हितों के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो इन साधनों के ज़रिये उस पर दबाव डाला जा सकता है और उसे ब्लेकमेल किया जा सकता है।

हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों का भी, अपने विचारक दलों, शोध संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों आदि का जाल है। बर्तानवी-अमरीकी पूंजीपतियों और हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों के कई सांझे हित के मुद्दे हैं परन्तु आपसी झगड़े के कुछ मुद्दे भी हैं।

बर्तानवी-अमरीकी साम्राज्यवादी रणनीति में हिन्दोस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा, हिन्दोस्तान में अंग्रेजी भाषा में शिक्षित बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी संख्या है।

हमारा देश बड़ी आसानी से साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का शिकार बन सकता है। शासक पूंजीपति वर्ग को अपने मुनाफों की ज्यादा चिंता है, और राष्ट्रीय संप्रभुता या आत्म-निर्भरता के बारे में कम। इसके अलावा, हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवियों के ऊपर के तबके में अंग्रेजी सोच-संस्कृति भरी हुई है। वे पश्चिमी देशों के पूंजीपतियों की तरह सोचते हैं और हर पश्चिमी चीज की पूजा करते हैं।

पुनः % हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवी पश्चिमी पूंजीपतियों की तरह क्यों सोचते हैं?

यकीन % इसकी जड़ बर्तानवी उपनिवेशवादी शिक्षा नीति में है। लॉर्ड मैकॉले ने अपने जाने-माने लेख *मिनिट ऑन इंडियन एजुकेशन*, फरवरी 1835 के ज़रिये यहां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की थी। मैकॉले ने ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की, जिसके द्वारा अंग्रेजी स्वभाव व तौर-तरीकों वाले हिन्दोस्तानियों का एक तबका तैयार किया जायेगा, जो हर पश्चिमी

चीज की पूजा करेंगे और सभी हिन्दोस्तानी विचारों को पिछड़ा बताकर खारिज कर देंगे। छठी कक्षा से, माध्यमिक शिक्षा में, संस्कृत और फारसी की जगह पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।

हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवियों की अगुवाई करने वाला एक ऐसा तबका उभरकर आया, जो शकल-सूरत से हिन्दोस्तानी था परन्तु सोच-विचार में बर्तानवी और पूंजीवादी था। वह हिन्दोस्तानी जनसमुदाय और हमारी प्राचीन संस्कृति के सभी विचारों को नीच और पिछड़ा मानता था।

हिन्दोस्तानी गणराज्य के तथाकथित संस्थापक, जिन्होंने संविधान सभा में बैठकर आज़ादी के पश्चात हिन्दोस्तान के मूल कानून को बनाया था, मुख्यतः इसी तबके से थे। संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और संविधान सभा में पूरा वाद-विवाद अंग्रेजी में हुआ। हिन्दोस्तानी भाषाओं में इसका अनुवाद 1950 के बाद ही उपलब्ध हुआ, जब तक संविधान को अपनाया जा चुका था।

बर्तानवी सोच वाले हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवियों ने हमारे देश के संविधान को तैयार करने में मुख्यतः बर्तानवी संसदीय लोकतंत्र के नमूने से सीख ली। उन्होंने अन्य पश्चिमी पूंजीवादी देशों के संविधानों से भी कुछ-कुछ अंश लिये। परन्तु उन्होंने हिन्दोस्तानी राजनीतिक सोच की विरासत से कुछ भी नहीं लिया। सोवियत संघ के अनुभव को भी उन्होंने ठुकरा दिया।

आज तक सभी उच्च अदालतों में अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार का वार्षिक बजट हमेशा अंग्रेजी में पेश किया जाता है। बर्तानवी सोच वाले हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवियों का बड़े पैमाने पर पुनरुत्पादन होता है, अंग्रेजी माध्यम के हिन्दोस्तानी विश्वविद्यालयों में तथा ऑक्सफोर्ड, केंब्रिज, लंदन स्कूल, हार्वर्ड, बर्कले, इत्यादि जैसे अगुवा बर्तानवी और अमरीकी विश्वविद्यालयों में। ये बुद्धिजीवी अंग्रेजी में, और यूरोपीय परिभाषाओं के अनुसार सोचते हैं। वे अपने घरों में अंग्रेजी बोलते हैं। वे हिन्दोस्तानी दिमागों को यूरो-केंद्रीयवाद के गुलाम बनाये रखने के शक्तिशाली माध्यम हैं।

यूरो-केंद्रीयवाद इस पूर्व धारणा पर आधारित है कि आधुनिक समाज में मायना रखने वाला सारा ज्ञान पश्चिम से आता है, जिसकी शुरुआत यूनानी फलसफे में पायी जाती है। हिन्दोस्तान, फारस, चीन, एशिया के अन्य लोगों तथा दुनिया के अन्य देशों के लोगों की सभ्यता के अनुभव और सोच-विचारों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है।

बर्तानवी-अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाये गये भ्रमों और गुमराहकारी हरकतों की ओर पश्चिमी सोच वाले हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवी स्वतः स्फूर्त आकर्षित होते हैं। वे "विकेंद्रीकरण" के नारे को जल्दी ही अपना लेते हैं और यह मानने लग जाते हैं कि समस्या पूंजीवाद में नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं और "क्रोनी कैपिटलिज्म" में है।

यूरो-केंद्रीय सोच से हिन्दोस्तानी मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ है। कई पार्टियां समाजवाद और

कम्युनिज़्म की कसम खाती हैं परन्तु इंग्लैंड से आयात किये हुये पूंजीवादी लोकतंत्र की मौजूदे व्यवस्था की रक्षा करती हैं।

जर्मन समाज के उद्धार के आंदोलन का जिक्र करते हुये, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि "इस उद्धार आंदोलन का दिमाग फलसफा है, इसका दिल श्रमजीवी है"। जब हमारी क्रांति का दिल, हमारा श्रमजीवी वर्ग, हिन्दोस्तानी है तो उसका निर्देशन कोई यूरोपीय दिमाग कैसे कर सकता है?

हमें आज की समस्याओं को हल करने के लिये आधुनिक हिन्दोस्तानी दृष्टिकोण और राजनीतिक सिद्धांत विकसित करना होगा तथा उस पर विस्तार करना होगा। अन्यथा, हम हमेशा ही साम्राज्यवाद और गद्दार पूंजीपतियों का शिकार बनते रहेंगे। हमारी पार्टी इस काम पर बहुत गंभीरता से ध्यान देती है। हम सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों और प्रगतिशील दिमागों से इस प्रयास में योगदान देने का आह्वान करते हैं।

पूँजीवादी % क्या आप समझा सकते हैं कि आधुनिक हिन्दोस्तानी राजनीतिक सिद्धांत का क्या मतलब है?

यह विषय % यह विषय संक्षेप में नहीं समझाया जा सकता, परन्तु मैं कोशिश करता हूँ।

हमारी सभ्यता में राजनीतिक और आर्थिक सोच और फलसफे की अनमोल विरासत है। हमें उसमें से उस सोच को आगे लाना

होगा जो वर्तमान मुक्ति के संघर्ष के लिये लाभदायक है, और उसे ठुकराना होगा जो भी पुराना हो चुका है।

1857 के बागियों का ऐलान कि "हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!", इससे हिन्दोस्तानी राजनीतिक सोच में सबसे मूल्यवान संकल्पना को आगे लाया गया। इस संकल्पना के अनुसार जनता संप्रभु है।

प्रजा शब्द का मतलब है वह जो राजा को जन्म देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे इतिहास में एक ऐसी अवधि थी जिसमें अपने आपस में से सर्वोच्च नेता का चयन करने का जनता को अधिकार था। जनता ने ऐसी सत्ता को जन्म दिया था जो सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। जो राजा सभी को सुख और सुरक्षा नहीं दिला सकता था, वह शासन करने का अधिकार खो देता था। प्रजा को उसका सर काटने का अधिकार था।

जब ऐसी सत्तायें उभरकर आयीं जिनके आर्थिक आधार जातिवादी गांव व्यवस्था थे, जिनमें "शासन करने के जन्मसिद्ध अधिकार वाले" अल्पसंख्यक द्वारा समाज का अतिरिक्त धन लूटा जाता था, तब अपने नेता का चयन करने के लोगों के अधिकार का हनन हुआ। राजा बनने का अधिकार तथा कौन राजा बनेगा इसका चयन करने का अधिकार आबादी के बहुत छोटे हिस्से को प्राप्त हुआ – एक शाही तबका और उसके गिने-चुने ज्ञानी सलाहकार।

अपने नेताओं का चयन करके उन्हें चुनने का अधिकार और किसी भी समय उन्हें सत्ता से हटाने का अधिकार एक लाभदायक और मूल्यवान विचार है। यह असूल, कि सभी को सुख और सुरक्षा दिलाना राज्य का फर्ज है, यह भी बहुत मूल्यवान है। दूसरी ओर, देश का शासन करना किसी खास जाति के लोगों का खास काम नहीं माना जा सकता है। ऐसा विचार पुराना है और आधुनिक समय में मान्य नहीं है।

हिन्दोस्तानी सिद्धांत को आधुनिक बनाने का मतलब है उसे आधुनिक हालातों के मुताबिक बनाना। आधुनिक हालातों की विशेषता यह है कि आज सम्मिलित मानव श्रम शक्ति का इस्तेमाल करके, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, जो कि बढ़ता जा रहा है, और व्यक्तिगत व पारिवारिक श्रम पर आधारित छोटे पैमाने के उत्पादन का स्थान ले रहा है। आधुनिक हालातों में, सभी क्षेत्रों में समूह को प्रधानता दी जाती है। हमें सिद्धांत को इन वर्तमान हालातों के अनुकूल बनाना होगा। आज लोगों को किसी राजा का चयन और चुनाव नहीं करना होता है बल्कि एक ऐसे दल का जिसको वे अपनी सत्ता का कुछ हिस्सा दे देते हैं। चुने जाने वालों का कर्तव्य सभी के लिये सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उन्हें मतदाताओं के कहने पर किसी भी समय अपना पद छोड़ने को तैयार होना चाहिये।

सुख और सुरक्षा की वर्तमान परिभाषा भी देनी पड़ेगी। मानव जरूरतों में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेय जल, बिजली, इत्यादि भी शामिल होते हैं।

समाज के सभी सदस्यों की इन ज़रूरतों को पूरा करना तथा सामाजिक अतिरिक्त धन से सभी लोगों के जीवन स्तर व उत्पादक क्षमता को बढ़ाना मुमकिन है। परन्तु यह तभी मुमकिन होगा जब अर्थव्यवस्था या समाज के किसी भी क्षेत्र पर निजी धन संचय का लालच हावी नहीं होगा।

हिन्दोस्तानी सोच में कर्तव्य के बिना किसी अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती। अपनी पूंजी के मुनाफे के रूप में सामाजिक बेशी मूल्य के कुछ हिस्से को हड़पने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिये।

स्पर्धा के स्थान पर सहयोग की जीत के मार्गदर्शन के लिये और सभ्यता के महामार्ग पर हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिये, आधुनिक हिन्दोस्तानी सोच की ज़रूरत है।

plunhku % कामरेड, इस रोचक और ज्ञानपूर्ण साक्षात्कार के लिये शुक्रिया।

वितरक

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई-392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2
नई दिल्ली-110020, email: lokawaz@gmail.com